

राजस्थान सरकार



राजस्थान राज्य

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ५२४ दीकर/२००२-०३

यह प्रमाणित किया जाता है कि शुरुकुल शिखण संस्थान सीकर

प.ख. सीकर

बिला सीकर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८

(राजस्थान अधिनियम नं. २८, १९५८) के अन्वेषित रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक २००२-०३-२००२ को सीकर में दिया गया।

रजिस्ट्रार चूर्णपाल
दीकर, सीकर